11/5/17 पत्रावली आज न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट चीथवाड़ी मे पेश हुई। पक्षकारान उप० है पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु किसी अन्य/पड़ोसी खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया केस, अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक मे बखूबी साबित है।

~~अतः प्रार्थीगण का~~

[illegible]

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ~~बाबत~~ बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खा० ख० न० 1193, 1194, 1195/3941, 1203, 1209, 1210, 1214, 1223, 1224, 1225, 1226/1918 कुल किता - 11 का कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर वाके ग्राम - चीथवाड़ी तहसील चौमू में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि किसी प्रकार का ~~हस्तक्षेप~~ हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर	

Scanned by CamScanner